

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक/ 5327 /स्था0/2026

सूरजपुर, दिनांक 21/07/2026

—: आदेश —:

श्री प्रेम कुशवाहा, वार्ड ब्याय, सामु0स्वा0केन्द्र लटोरी (सूरजपुर) जिला-सूरजपुर छ0ग0 के कार्य के प्रति लापरवाही शासकीय चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में दिनांक 20.07.2026 को मांस एवं मदिरा सेवन का कार्यक्रम किये जाने एवं उक्त कार्यक्रम का वीडियो प्रसारित होने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया श्री प्रेम कुशवाहा, वार्ड ब्याय दोषी पाये जाने के कारण छ0ग0सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री प्रेम कुशवाहा, वार्ड ब्याय का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी,, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओड़गी जिला-सूरजपुर छ0ग0 निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री प्रेम कुशवाहा, वार्ड ब्याय, को नियमानुसार मूलभूत नियम-53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

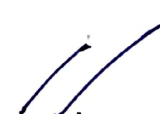
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़
सूरजपुर, दिनांक

पृ0क्रमांक / /स्था0/2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर रायपुर छ0ग0।
02. कलेक्टर, जिला-सूरजपुर छ0ग0।
03. संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, संभाग-सरगुजा छ0ग0।
04. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सूरजपुर छ0ग0।
05. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र सूरजपुर/ओड़गी जिला-सूरजपुर छ0ग0।
06. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र लटोरी जिला-सूरजपुर छ0ग0।
07. श्री प्रेम कुशवाहा, वार्ड ब्याय, सामु0स्वा0केन्द्र लटोरी (सूरजपुर) जिला-सूरजपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. व्यक्तिगत नस्ती/आदेश फाईल/नस्ती फाईल।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक / 5329 / स्था0 / 2026

सूरजपुर, दिनांक 21/07/2026

--: आदेश ::--

श्री रंजीत जायसवाल, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, सामु0स्वा0केन्द्र लटोरी (सूरजपुर) जिला-सूरजपुर छ0ग0 के कार्य के प्रति लापरवाही शासकीय चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में दिनांक 20.07.2026 को मांस एवं मदिरा सेवन का कार्यक्रम किये जाने एवं उक्त कार्यक्रम का वीडियो प्रसारित होने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया श्री रंजीत जायसवाल, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 दोषी पाये जाने के कारण छ0ग0सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री रंजीत जायसवाल, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी,, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओड़गी जिला-सूरजपुर छ0ग0 निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री रंजीत जायसवाल, को नियमानुसार मूलभूत नियम-53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़
सूरजपुर, दिनांक

पृ0क्रमांक / / स्था0 / 2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर रायपुर छ0ग0।
02. कलेक्टर, जिला-सूरजपुर छ0ग0।
03. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग-सरगुजा छ0ग0।
04. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सूरजपुर छ0ग0।
05. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र सूरजपुर/ओड़गी जिला-सूरजपुर छ0ग0।
06. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र लटोरी जिला-सूरजपुर छ0ग0।
07. श्री रंजीत जायसवाल, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, सामु0स्वा0केन्द्र लटोरी (सूरजपुर) जिला-सूरजपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. व्यक्तिगत नस्ती/आदेश फाईल/नस्ती फाईल।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़